न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 05/2022

1. जतिन्द्र कौर पुत्री फूलासिंह
2. धर्मेंद्र सिंह
3. रूपेन्द्र सिंह पिसरान फूलासिंह
4. सुखविन्दर कौर पत्नी फूलासिंह जाति सिख निवासी सहसन तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

अप्रार्थी

2. रौनक पुत्र अजूब
3. सगरू पुत्र करीम जाति मेव निवासी थलचाना तहसील पहाडी

तरतीवी पक्षकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :— श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रार्थीगण
श्री युवराज सिंह वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3

दिनांक :— 14/03/2024

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 1645/2 हाल खसरा नम्बर 2041 रकबा 0.60 हैक्टर बांके ग्राम थलचाना तहसील पहाडी में स्थित है। प्रार्थीगण एवं तरतीवी पक्षकार 2 व 3 के हित व हक आराजी में समान है वक्त दावा दायरी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हे तरतीवी पक्षकार बनाया गया है। उक्त खसरा नम्बर प्रार्थीगण एवं तरतीवी पक्षकार की खातेदारी का रकबा है। जिस पर हाल में सरसों व गेहूँ की फसल खडी हुई है। लेकिन सैटलमेन्ट विभाग ने बन्दोबस्त करते समय प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की खातेदारी की आराजी को गैर मुम0 नहर की किस्म में दर्शाया गया है। जबकि नहर से प्रार्थीगण की आराजी का कोई संबन्ध नहीं है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा सहवन से प्रार्थी की खातेदारी की आराजी को गैर0मुम0 नहर दर्शाया गया है जो खिलाफ मौका है। जिसकी दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड किया जाना अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2041/0.60 हैक्टर से गैर0मुम0 नहर का इन्द्राज कलमजन किया जाकर रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रकरण जतिन्द्रकौर पुत्री फूलासिंह , धर्मेन्द्रसिंह, रूपेन्द्र सिंह पिसरान फूलासिंह, सुखविन्दर कौर पत्नी फूलासिंह बनाम राजस्थान सरकार के ग्राम थलचाना के हाल खसरा नम्बर 2041/0.60, 2202/2244/0.40, 2203/0.54, 2204/0.51, 2202/0.40, साविक खसरा नम्बर 1645 है। जिसकी मौका स्थिति निम्नानुसार है :–

1. श्रीमान्जी मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी, नक्शा) व जरीव के उपर्युक्त के खसरा नम्बरान पर उपस्थित हुआ एवं उपर्युक्त खसरो का मुताबिक राजस्व नक्शा का अवलोकन किया गया।
2. श्रीमान्जी बाद अवलोकन के उपर्युक्त नम्बरान की निश्चित मेडो से जरीब चलाकर पैमाइश की गई। वक्त पैमाइश प्रार्थीगण मौके पर उपस्थित थे एवं पैमाइश में प्रार्थीगण का सम्पूर्ण रकबा 2.28 हैक्टर मौके पर नहर को छोडते हुये ज्ञात हुआ उक्त खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर में से खसरा नम्बर 2041/0.60 नहर से लगा हुआ है एवं खसरा नम्बर 2041/0.60 की जगह 0.45 हैक्टर ज्ञात हुआ है।
3. श्रीमान्जी नहर मौके पर प्रार्थीगण के रकबा से लगते हुए निकल रही है एवं नहर को छोडकर प्रार्थीगण का रकबा 2.28 हैक्टर ज्ञात हुआ है मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार की गई एवं पढकर सुनाई गयी। उपस्थित व्यक्तियों के अंगूठा व हस्ताक्षर कराये गये ।

वकील तरतीवी पक्षकार 2 व 3 प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नहीं करना चाहते है इसलिए उनका जबाब बंद किया गया।

बहस वकील प्रार्थीगण एवं तरतीवी पक्षकार सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया । वकील तरतीवी पक्षकार को प्रार्थना पत्र के संबन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब /मौका रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया । प्रार्थीगण ग्राम थचलाना तहसील पहाडी स्थित आराजी खसरा नम्बर 2041/0.60 हैक्टर किस्म गैर0मुम0 नहर में 974/1215 हिस्से के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है किस हिस्सा पर तरतीवी पक्षकार खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है प्रार्थीगण का कथन है कि खसरा नम्बर 2041/0.60 हैक्टर गैर0मुम0 नहर में मौके पर कोई नहर नहीं है तथा वर्तमान में सरसों व गेहूँ

उपखण्ड अधिकारी (डीग)

की फसल खडी हुई है। बन्दोबस्त विभाग ने प्रार्थीगण की आराजी को बिना मौका जाँच किये खातेदारी में दर्ज कर दिया। आराजी की किस्म गैर0मुम0नहर दर्ज करदी जो राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका के विरूद्ध है। अतः खसरा नम्बर 2041/0.60 हैक्टर की किस्म गैर0मुम0 नहर को कलमजन किया जावे ।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार पहाडी की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी में दर्ज 7 खसरा नम्बरों का रकबा 2.43 हैक्टर के स्थान नहर को छोडकर 2.28 हैक्टर मौजूद है तथा 0.15 हैक्टर नहर में है। पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 2041 का रकबा 0.60 हैक्टर में से 0.45 हैक्टर रकबा प्रार्थीगण वगैराह के कब्जा काश्त में है शेष रकबा 0.15 हैक्टर गैर0मुम0 नहर है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी तहसीलदार पहाडी की मौका रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2041/0.60 हैक्टर में से 0.45 हैक्टर रकबा पर कब्जा व काश्त है शेष 0.15 हैक्टर रकबा नहर में चला गया है। अतः प्रार्थीगण एवं तरतीवी पक्षकार की खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 2041 रकबा 0.60 हैक्टर में से 0.45 हैक्टर भूमि की किस्म जमीन साथ लगे खसरा नम्बरान के अनुसार चाही द्वितीय एवं 0.15 हैक्टर रकबा की किस्म जमीन गैर0मुम0 नहर यथावत रखना उचित है। तदानुसार आराजी खसरा नम्बर 2041 की किस्म जमीन की दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में की जावें। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 14/03/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग).